XII
IV
RAHUL
KR PASWAN

DEPT OF POL. SCI

⇒ लॉर्ड्स सभा के अधिकार एवं कार्य
(Powers And Functions of the House of Lords)

लॉर्ड्स सभा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है जिन्हें हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं —

(1) विधायी कार्य (Legislative Functions) — लॉर्ड्स सभा को ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन होने के कारण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। एक समय था जब लॉर्ड्स सभा को ही विधि निर्माण के मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार प्राप्त था, किंतु बाद में विधि निर्माण के कार्य में कॉमन सभा को भी अधिकार प्राप्त हो गया। 1911 ई० के संसदीय अधिनियम के अनुसार धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही पुनः स्थापित हो सकते हैं, लॉर्ड्स सभा में नहीं। लॉर्ड्स सभा कॉमन सभा की स्वीकृति के बिना, धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है और न संशोधित ही। इस एक्ट द्वारा यह उपबंध किया गया कि लॉर्ड्स सभा की अनुमति मिले या न मिले, कॉमन सभा द्वारा पारित होने के एक माह के बाद प्रत्येक धन विधेयक कानून बन जाएगा। कॉमन सभा के अध्यक्ष को किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, अन्य विधेयकों के विषय में भी लॉर्ड्स सभा का मुख्य कार्य केवल कॉमन सभा द्वारा किए गए कार्यों को दोहराना, उनकी आलोचना करना तथा उनमें संशोधन करना ही रह गया है। यद्यपि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पुनः स्थापित या आरंभ हो सकता है, पर उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार लॉर्ड्स सभा की अनुमति के बिना भी वे कानून बन सकते हैं, यदि कॉमन सभा उन्हें एक ही अथवा संसद के लगातार आने वाले तीन (3) अधिवेशनों द्वारा पारित करे

अथवा विधेयक के पहली बार दूसरे वाचन की तिथि और अंतिम रूप दोनों वाचन की तिथि के बीच दो वर्ष बीत चुके हों इस प्रकार साधारण विधेयकों के विषय में भी लॉर्ड्स सभा के पास पूर्णतः स्था... किए जाने से लॉर्ड्स सभा को केवल दो (2) वर्ष के स्थगन निषेध (suspensive veto) का अधिकार प्राप्त था परन्तु 1949 ई० के एक्ट द्वारा इस स्थगन निषेध की भी अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी गई है।

(2) न्यायिक कार्य (Judicial functions) -

लॉर्ड्स सभा का न्यायिक कार्य अधिनियम से, जिसके सदस्य सभा जबकि वंचित है विधायी निकाय के अतिरिक्त लॉर्ड्स सभा विधि न्यायालय भी है यह ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय है और इसका अंतिम अपील न्यायालय है परन्तु सभा के न्यायिक कार्य में केवल लार्ड चांसलर तथा ए विधि लार्ड्स भाग लेते हैं, अन्य सदस्य नहीं।

(3) विचारात्मक कार्य (Deliberative functions) -

लॉर्ड्स सभा एक विचारात्मक निकाय के रूप में अधिक उपयोगी है इसके सदस्य ख्यातिप्राप्त तथा अनुभवी होते हैं, जो राजनीतिक दाव-पेंच में पारंगत होते हैं अतः शान्तिपूर्ण वातावरण में लॉर्ड्स सभा के सदस्य प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय नीति पर महत्वपूर्ण वाद-विवाद करते हैं यह बड़े-बड़े तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे वैदेशिक नीति पर स्वतंत्र एवं पूर्ण निर्णय का अवसर प्रदान करती है।

(4) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार (Executive Powers) -

ब्रिटिश कॉमन्स की तरह लॉर्ड्स सभा भी प्रशासन के किसी पहलू पर निर्णय करने का प्रभाव रखती है लॉर्ड्स सभा का कोई भी

Scanned by TapScanner

उदाहरण स्वरूप वे प्रश्न पूछ सकते हैं लॉर्ड्स सभा के सदस्य सरकारी नीतियों और कार्यों पर खुला वाद विवाद कर सकते हैं न्यायधीशों को उनके पद से हटाने का निर्णय लोकसभा और लॉर्ड्स सभा के सदस्य मिलकर करते हैं। लॉर्ड्स व्यवस्था और लॉर्ड्स सभा का अस्तित्व होना भी ब्रिटिश संविधान का एक स्वाभाविक लक्षण होता है।

Scanned by TapScanner